



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012023-241855
CG-DL-E-10012023-241855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2023/पौष 20, 1944

No. 174]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2023/PAUSHA 20, 1944

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

का.आ. 182(अ).—राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 12) की धारा 3(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना के अनुक्रम में भारत में या भारत के बाहर अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के कार्यालयों की स्थापना के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

- राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के चेन्नई और हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को कोलकाता स्थित इसके प्रधान कार्यालय के साथ विलय कर दिए गए हैं। इस विलय के परिणाम स्वरूप, चेन्नई और हैदराबाद में उपरोक्त कार्यालयों की देयताएं और परिसंपत्तियाँ, जनशक्ति कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के प्रधान कार्यालय में स्थानांतरित हो गई हैं।
- सरकार एतद्वारा उपरोक्त पैरा-(i) में दर्शाई गई तिथि के अनुसार दिनांक 1 फरवरी, 2023 को निर्धारित करती है, जिस तिथि को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों का विलय लागू होगा।

[फा. सं.12/9/2015-पटसन]

प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**(Jute Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2023

S.O. 182(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 (3) of National Jute Board Act, 2008 (No.12 of 2009) and in continuation to the Notification of the Government of India in the Ministry of Textiles hereby makes the following amendments relating to establishment of offices of National jute Board at other places in or outside India:-

- i. The regional offices of National Jute Board at Chennai and Hyderabad stand merged with its Head office at Kolkata. Consequent upon such merger, the liabilities and assets, manpower of above offices at Chennai and Hyderabad stand transferred to the Head Office of National Jute Board at Kolkata.
- ii. The Government hereby appoints the 1st day of February, 2023 as the date on which merger of above National Jute Board Regional offices, as indicated at para-(i) above, shall come into force.

[F. No. 12/9/2015-Jute]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.